राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांकः प. 21(16)प्राशि/आयो/एसएमसी/2016 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 5.10.2017

1. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक,
   प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयः– **विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत।**
प्रसंगः– प. 21(16)प्राशि/आयो/एसएमसी/2016 पार्ट दिनांक 17.7.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर लेख है कि सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा विद्यालय विकास हेतु दानदाताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दान/सहयोग आदि प्राप्त किया जाता है। इस दान राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु सभी विद्यालय विकास समितियों और विद्यालय प्रबन्धन समितियों का आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन करवाने हेतु 30 सितम्बर, 2017 अंतिम तिथि नियत की गई थी।

अतः कृपया अवग करावे कि कितने विद्यालयों द्वारा धारा 80जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन 30 सितम्बर, 2017 तक करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है तथा जिन विद्यालयों द्वारा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन नहीं किया गया तथा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है उनके विरूद्व क्या कार्यवाही की गई है?

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4. समस्त शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्रसिंह)
सहायक शासन सचिव

www.rajteachers.com